पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–03 / 2019 / 13 (आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 08/05/2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 04.05.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,58,40,00,000.00 (एक अरब अट्ठावन करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 04.05.2020 द्वारा पंचायत सरकार के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल ₹1,58,40,00,000.00 (एक अरब अट्ठावन करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 04.05.2020 के साथ संलग्न अनुलग्नक–1 के अनुरूप कुल ₹1,58,40,00,000.00 (एक अरब अट्ठावन करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी** होंगे। इस आवंटित राशि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त लक्ष्य की सूची के अनुरूप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया जायेगा, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिंता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी **वित्तीय वर्ष 2020–21** में **मांग संख्या–16** के राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन"** मद के विषय शीर्ष **'0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य'** इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड **16–4515001010108** है।

5. **सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16–4515001010108) को यथाशीघ्र Map/Tag कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।**

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05 / 98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

लगातार –

D:\MS Excel\Allotment\Allotment 2020-21\State Scheme\Panchayat Sarkar Bhawan 2020-21\Letter.docx

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019 के पृष्ठ संख्या 21/टि० पर दिनांक 06/05/20 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

08/05/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/13(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/05/2020

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/05/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/13(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/05/2020

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/05/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी